

23

पत्रावली आज पेश है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस प्रार्थना को अरिष्ट नोट प्रेस इनको खारिज करना चाहता है।

प्रार्थी के साथ विपक्षी द्वारा भी सहमति प्राप्त है।

इसने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अरिष्ट नोट प्रेस खारिज किया जाता है।

पत्रावली केशव शुभार लेकर 5/11/23 को प्रस्तुत है।

उक्त पत्रावली गरी आधार पर अंतिम निषेधाज्ञा 51/21 को इस पत्रावली के साथ खारिज कि जाती है।

हुपखण्ड अधिकारी  
निम्नाहंड़ा

अधिवक्ता (रिजिस्ट्रार)  
अधीन  
1. (अधिवक्ता)  
Amar

